रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 174] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 17, 1990/आषाढ़ 26, 1912
No. 174] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 17, 1990/ASADHA 26, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1990

संकल्प

संख्या 6-1-12/90-मि.मि.—6:—परती भूमि के तेजी से विस्तार के कारण देश के उत्पादन संसाधन आधार को गम्भीर क्षति पहुंच रही है और महत्वपूर्ण जीवन आधार प्रणालियों को खतरा पैदा हो गया है। अतः सरकार ने अवक्रमित क्षेत्रों/परती भूमि के पुनरुत्पादन से संबंधित कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी है। व्यक्तियों और निगमित/अनिगमित निकायों को उनके अंशदान अथवा संदाय के माध्यम से इस राष्ट्रीय प्रयास में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने के विचार से वनीकरण के लिए एक कोष स्थापित किया जाना आवश्यक समझा गया है। अतः वनीकरण और परती भूमि विकास हेतु एक राष्ट्रीय कोष की स्थापना की जाती है।

2. उपर्युक्त कोष का प्रबन्ध निम्न प्रकार से गठित समिति द्वारा किया जाएगा:—

(क) पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री — अध्यक्ष

(ख) पर्यावरण और वन राज्य मंत्री — उपाध्यक्ष

(ग) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय — सदस्य

(घ) सचिव (वित्त), वित्त मंत्रालय — सदस्य

(ङ) सचिव (ग्रामीण विकास), कृषि मंत्रालय — सदस्य

(च) वनीकरण और परती भूमि विकास में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों के 2 प्रतिनिधि — सदस्य

(छ) अपर सचिव, राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड, पर्यावरण और वन मंत्रालय। — सदस्य सचिव

3. समिति अपने कार्य-संचालन नियम निर्धारित करेगी और कोष के संचालन संबंधी मार्गदर्शी रूप-रेखाएं जारी करेगी।

4. भारत के महानियंत्रक और लेखा परीक्षक द्वारा कोष की लेखा-परीक्षा की जाएगी।

महेश प्रसाद, सचिव (पर्यावरण एवं वन)

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi, the 17th July, 1990

RESOLUTION

No. 6-1-12|90-MM-VI.—The rapid expansion of wastelands is seriously undermining the productive resource base and endangering vital life support systems of the nation. The Government has therefore accorded high priority to programmes for regeneration of degarded areas|wastelands. With a view to encourage individuals and corporate|non-corporate bodies to participate in this national effort through contributions or donations, it is considered necessary to have a fund for afforestation. Hence, the National Fund for Afforestation and Wastelands Development is hereby set up.

2. The above-mentioned Fund will be managed by a Committee composed as follows :—

(a) Minister incharge of the Ministry of Environment & Forests—Chairman.

(b) Minister of State in the Ministry of Environment & Forests—Vice Chairman.

(c) Secretary, Ministry of Environment & Forests—Member.

(d) Secretary (Revenue), Ministry of Finance—Member.

(e) Secretary (Rural Development), Ministry of Agriculture—Member.

(f) Two Representatives of Voluntary Agencies involved in Afforestation and Wastelands Development—Member.

(g) Additional Secretary, National Wastelands Development Board, Ministry of Environment and Forests—Member Secretary.

3. The Commitee will lay down rules for the conduct of its business and issue guidelines for the administration of the Fund.

4. The Fund shall be subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India.

MAHESH PRASAD, Secy.
(Environment & Forests)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110051, 1990.